राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4746/2022

क्षमता शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.09.2022
आदेश की दिनांक : 03.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में ए.एन.एम. के पद पर सी.एम.एच.ओ., जयुपर द्वितीय में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निदेशालय, जयपुर से पी.एच.सी. कौथून, चाकसू, जयपुर कर दिया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 10.08.2022 के द्वारा उसे नगरीय पी.एच.सी., जगतपुरा पदस्थापित किया गया था और दिनांक 12.08.2022 को कार्यग्रहण किया, परन्तु पी.एच.सी., जगतपुरा में कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं दी गई और उसे सी.एम.एच.ओ. द्वारा जो सक्षम अधिकारी नही होते हुए उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रख दिया गया तथा आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अधिशेष मानते हुए उसका स्थानान्तरण पी.एच.सी., कौथून, चाकसू, जयपुर कर दिया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 16.08.2022 (अनुलग्नक–1) एवं 03.09.2022 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ए.एन.एम. के पद पर सी.एम.एच.ओ., जयुपर द्वितीय में कार्यरत है। आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 जो सी.एम.एच.ओ., जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखते हुए निदेशालय में भेजने का निर्देश किया गया है और आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरित किया गया है, जो हमारे विनम्र मत में राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है। इस प्रकार प्रकरण के वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 16.08.2022 (अनुलग्नक–1) एवं 03.09.2022 (अनुलग्नक–2) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)